Rec
17/03/2026

कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, शामली
नीलामी सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन जनपद न्यायालय शामली स्थित कैराना परिसर में स्थित जलपान गृह (चाय की कैन्टीन एवं खानपान की दुकान) की नीलामी दिनांक 23.03.2026 को अपरान्ह 4:30 बजे सभागार कक्ष न्यायालय परिसर शामली स्थित कैराना में होगी, किराये पर नीलामी होने वाली जलपान गृह की न्यूनतम् बोली एवं धरोहर बोली की सूची निम्न प्रकार हैः–

वित्तीय वर्ष 2026–2027 में नीलामी होने वाली प्रस्तावित दुकानों एक वर्ष के लिए धरोहर राशि एवं न्यूनतम् बोली राशि का विवरण

क्र.सं.	स्थल का नाम	प्रयोजन	धरोहर राशि	प्रस्तावित न्यूनतम् बोली
01	जनपद न्यायालय शामली स्थित कैराना	जलपान गृह (कैन्टीन एवं खानपान की दुकान)	49500/–	495000/–

उपरोक्त में अंकित धरोहर नगद धनराशि इस जनपद न्यायालय के केन्द्रीय नजारत में नीलामी की नियत तिथि दिनांक 23.03.2026 से पूर्व 19.03.2026 तक अपरान्ह 02 से 04 बजे तक जमा कर उससे सम्बन्धित प्राप्ति रसीद प्राप्त की जी सकेगी। प्रतिभूति की धनराशि जमा न करने की स्थिति में तत्कालीन नीलामी की बोली लगाने हेतु अहर्य नहीं होगा।

उपरोक्त जलपान गृह की नीलामी से सम्बन्धित अन्तिम बोली जिस प्रतिभागी के पक्ष में छूटेगी उस पर नियमानुसार कर की धनराशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम बोली की धनराशि का 50 प्रतिशत की धनराशि नीलामी स्थल पर जमा करना होगा तथा अन्तिम बोली का अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि दिनांक 31.12.2026 तक जमा करना होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नगद जमा की जायेगी, उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक/ड्राफ्ट एवं बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि से किसी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार तथा किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एस.सी./एस.टी. एक्ट शामली
अध्यक्ष नीलामी समिति
जनपद न्यायालय शामली।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उनके कार्यालय स्थित सूचना को दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु एवं कार्यालय के सूचना पट पर सूचनार्थ चस्पा किये जाने हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग–ई–कोर्ट शामली एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिक वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी, शामली को प्रकाशन हेतु।
3. अधीक्षक, चिकित्सालय कैराना, शामली।
4. कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।
5. तहसीलदार, कैराना।
6. तहसीलदार, शामली।
7. केन्द्रीय नाजिर को नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय, शामली पर चस्पा करने हेतु।

11/3/26

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एस.सी./एस.टी. एक्ट शामली
अध्यक्ष नीलामी समिति
जनपद न्यायालय शामली।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली।
जलपान गृह (कैन्टीन एवं खानपान की दुकान) हेतु ठेके की शर्तें।

1. जलपान गृह जहां है, की स्थिति में संचालन के लिए अनुज्ञप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी वित्तीय वर्ष 2025–2027 तक के लिये होगी। दुकानों की नीलामी प्रक्रिय बोली के माध्यम से दिनांक 19.03.2026 को अपरान्ह 4:30 बजे सभागार न्यायालय परिसर शामली स्थित कैराना में प्रारम्भ की जायेगी।

2. जलपान गृह की नीलामी के लिए बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि अखबार में दी गयी सूचना के आधार पर जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नीलामी समिति के आदेश से नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र व निर्धारित धरोहर धनराशि के साथ जनपद न्यायालय शामली के नजारत अनुभाग में उपस्थित होकर दिनांक 18.03.2026 तक अपरान्ह 02:00 बजे तक जनपद न्यायालय शामली के नजारत अनुभाग में जमा किया जा सकता है।

4. जलपान गृह को जिस प्रयोजन हेतु आंवटित किया जायेगा उनका प्रयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा।

5. बोली मे सफल व्यक्ति जलपान गृह की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का स्थाई व अस्थाई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही जलपान गृह की भौतिक स्थिति को नुकसान पहुंचायेगा।

6. नीलामी उपरोक्त स्वीकृत होने के तुरन्त बाद नीलामी स्थल पर नीलामी राशि का 50 प्रतिशत की धनराशि तत्काल जमा करना होगा जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। यदि उक्त 50 प्रतिशत की धनराशि नीलामी स्थल पर जमा किया जाता है तो जमानत के रूप में जमा धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा एवं सम्बन्धित नीलामी निरस्त कर के नीलामी के आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जाएगी।

7. नीलामी उपरोक्त के अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि दिनांक 31.12.2026 तक 02 बराबर त्रैमासिक किस्तों में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि नियत अवधि में बकाया धनराशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में जमा की गई धनराशि को किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित की नीलामी निरस्त समझा जाएगा एवं नीलामी आवंटन की कार्रवाई पुनः नये सिरे से प्रारम्भ की जाएगी।

8. माननीय जनपद न्यायाधीश शामली को नीलामी स्वीकार करने व निरस्त करने एवं नीलामी तिथि में परिर्वतन करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा।

9. जलपान गृह में विद्युत उपभोग किये जाने के लिए विद्युत विभाग से स्वंय की विद्युत संयोजन लेकर विद्युत का उपभोग किया जाएगा व उससे सम्बन्धित मासिक किराया प्रत्येक माह में जमा करते हुए रसीद की छायाप्रति न्यायालय अर्थात केन्द्रीय नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा।

10. किसी भी स्थिति में जलपान गृह को खाली करते समय जलपान गृह संचालक द्वारा लगाये बिजली मीटर को नियमानुसार लेसा को समर्पित करते हेए अदेयता प्रमाण–पत्र लेते हुए उसकी प्रति जनपद न्यायालय शामली नजारत अनुभाग में प्रस्तुत करेगा।

11. अच्छी गुणवत्ता वाले फर्नीचर जैसे टेबल और कुर्सी सेवा प्रदाता द्वारा प्रबन्ध किया जाएगा उक्त जलपान गृह के रखरखाव का कार्य सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं किया जाएगा।

12. सेवा प्रदाता द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मात्रा एवं कीमत तथा खान–पान सुविधाओं रख–रखाव और सेवा स्तरों निरीक्षण करने का अधिकार न्यायालय प्रशासन के पास होगा।

13. सेवा प्रदाता उक्त जलपान गृह में कोई अवैध, अनैतिक या विधि विरूध कार्य नहीं करेगा अन्यथा अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

14. ठेकेदार द्वार स्थित जलपान गृह एवं उसके आस–पास की सफाई व्यवस्था स्वयं कराई जाएगी एवं उसे पूर्ण रूप से साफ–सुथरा रखना होगा तथा कूड़ा आदि के लिए ड्रम आदि का प्रावधान करने की स्वंय व्यवस्था की जाएगी। ठेकेदार को रूपये 2000/– प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में इस आशय के साथ जमा करना होगा, यदि ठेकेदार सफाई कराने में असमर्थ पाया जाता है तो न्यायालय द्वारा सफाई का कार्य सम्पादित कराया जाएगा तथा जमा प्रतिभूति की धनराशि में रूपये 50/– प्रतिदिन की दर से सफाई कर्मचारी को

पारिश्रमिक भुगतान न्यायालय द्वारा कर दिया जाएगा। यदि नीलामी की अवधि में न्यायालय को सफाई कराने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है तो सिक्योरिटी की जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदार वापस कर दी जाएगी।

15. जलपान गृह में बिक्री की जाने वाली प्रत्येक खाद्य एवं पेय सामग्री गुणवत्ता के साथ निर्मित कर बिक्री की जाएगी तथा उनकी बिक्री दर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से स्वीकृत कराने के पश्चात् मूल्य सूची का लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त जलपान गृह प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से खुलकर सांय 5:00 बजे बन्द होगी।

16. जलपान गृह में रखे जाने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं जलपान गृह संचालक की होगी तथा जनपद न्याायालय शामली किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना यदि कोई भी होती है तो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

17. जिस व्यक्ति द्वारा नीलामी उपरोक्त लिया जाएगा उसे अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य पर जनरल स्टाम्प पर ठेके की सभी शर्तों का एक अनुबन्ध पत्र कब्जा प्राप्त करने की तिथि को निस्पादित करना होगा कि यदि वह दी गई सभी शर्तों के अन्तर्गत नीलामी चलाने में असमर्थ पाया जाता है तो उसकी नीलामी निरस्त करते हुए कब्जा वापस ले लिया जाए तथा उन परिस्थितियों में उसके द्वारा जमा की गई कुल धनराशि भी जब्त किये जाने में उसे कोई नहीं होगी।

18. नीलामी दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 के लिए वैध होगा। ठेकेदार अपना नाम, फोटो स्थाई व पत्र व्यवहार का पता एवं कार्यरत कर्मचारियों का नाम पता मय फोटो कब्जा लेने की तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा सम्बन्धित जलपान गृह में किसी प्रकार का कोई फर्नीचर आदि न्यायालय उपलब्ध नहीं कराया जाएगा उसकी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं की जाएगी।

19. ठेकेदार व कार्यरत कर्मचारियों को सभी के साथ अपना व्यवहार विनम्र रखना होगा यदि उसके व्यवहार में कोई शिकायत माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली एवं प्रभारी अधिकारी नजारत को की जाती है तो माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली का निर्णय सम्बन्धित ठेकेदार को मान्य होगा जो कि नीलामी निरस्त की सीमा तक हो सकता है एवं उक्त स्थिति में उसके द्वारा जमा धनराशि को जब्त भी किया जा सकता हैं।

20. ठेकेदार द्वारा उक्त जलपान गृह के ठेके को शिकमी किरायेदारी पर देने का अधिकार नहीं होगा, यदि ठेकेदार उक्त नीलामी किसी अन्य व्यक्ति को शिकमी किरायेदारी पर देता है तो उसकी नीलामी निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी एवं जलपान गृह का कब्जा वापस ले लिया जाएगा।

21. ठेकेदार नीलामी चलाने के लिए किसी अवांछनीय अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को नहीं रखेगा। यदि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त नियुक्त कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति को इस न्यायालय अधिकारियों द्वारा अपने व्यवहार या अन्य किसी कारण से अवांछनीय पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को तात्कालिक प्रभाव से सम्बन्धित ठेकेदार को हटाना होगा।

22. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त जलपान गृह में भविष्य में अग्निकाण्ड जैसी होने वाली अप्रत्याशित घटना की दृष्टि से उसमें सुरक्षा हेतु यन्त्रों को अपने व्यय पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

23. यदि ठेकेदार द्वारा दी गयी शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ठेकेदार का नीलामी निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकती है एवं ठेके का कब्जा वापस लिया जा सकता है।

<u>नीलामी समिति जनपद न्यायालय शामली।</u>

सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
11/03/26		11/3/26	11/3/26
दिव्या शर्मा,	आंचल कसाना,	ऋतु नागर,	सुरेन्द्र कुमार राय,
सिविल जज (जू0डि0),	सिविल जज (सी0डि0),	अपर जिला न्यायाधीश,	अपर जिला न्यायाधीश,
शामली।	शामली।	त्वरित न्यायालय शामली।	विशेष न्यायाधीश
			एस.सी./एस.टी.एक्ट शामली।